

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 13
TO BE ANSWERED ON 20.07.2026**

EQUAL PAY FOR EQUAL WORK

13. SHRI RAM SHIROMANI VERMA:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) whether the number of employees engaged through contractual employment, outsourcing engagements and on honorarium basis has been increasing constantly as compared to regular appointments made over the last few years in various departments, Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies of the Central and State Governments and if so, the details thereof for the last five years, department-wise;**
- (b) whether pay scale, dearness allowance, house rent allowance, medical facilities, children's education allowance, provident fund, pension, gratuity, promotion and other service and social security related benefits similar to regular Government employees are not awarded to such employees and if so, the reasons therefor; and**
- (c) whether the Government proposes to formulate a new policy or review the existing system to ensure minimum wages, service security, social security, medical facilities and other essential service benefits to the said employees and their regularisation by considering/adopting the principle of 'Equal Pay for Equal Work' in the interest of the youth of the country?**

**MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DR. MANSUKH MANDAVIYA)**

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *13 FOR 20.07.2026 BY SHRI RAM SHIROMANI VERMA REGARDING "EQUAL PAY FOR EQUAL WORK".

(a) to (c): The engagement of contractual, outsourced employees and on honorarium in various Ministries/Departments, Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies of the Central Government is done in a decentralized manner by the respective establishments based on their administrative and operational requirements. Data regarding such employees is maintained by respective establishment.

Regular employees are governed by specific Service Rules and Recruitment Rules of the respective establishment. Contractual and outsourced employees are covered under the terms and conditions of their contract subject to statutory provisions. The Government has enacted labour laws to protect interest of workers.

The Central Government has formulated the four Labour Codes, namely, the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 after amalgamating, simplifying and rationalising the relevant provisions of the previous 29 Central Labour Acts. The four Labour Codes have come into force with effect from 21.11.2025. The Central Rules under all four Labour Codes have been notified on 08.05.2026.

In the Labour Codes, the Government has made important provisions to protect interest of contract workers such as universalization of minimum wages to all employments, minimum wages cannot be lower than floor wage fixed by the Central Government, timely payment of wages to all employees, gender neutrality and prohibition of discrimination in recruitment and wage payment. Women workers are allowed to work in all establishments, for all types of work including during night subject to their consent and safety, universal application of occupational safety, health and welfare standards in all establishments having 10 or more workers and even for establishment with one employee, carrying out hazardous or life-threatening occupations, formalization of employment through mandatory issue of appointment letter, employer to provide free of cost annual health check-up for employees, provisions of welfare facilities by principal employer, overtime at the double the rate of wages, principal employer to set up a Committee for redressal of grievances of contract workers related to health, working conditions, wages etc. and disposal of grievances within 30 days, social security through EPFO and ESIC.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 13
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 / 29 आषाढ़, 1948 (शक)

समान कार्य के लिए समान वेतन

***13. श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में विगत कुछ वर्षों में की गई नियमित नियुक्तियों की तुलना में संविदात्मक रोजगार, आउटसोर्सिंग और मानदेय आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी विभाग-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, बाल शिक्षा भत्ता, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, पदोन्नति और सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य लाभ नहीं दिए जाते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और
- (ग) क्या सरकार का विचार देश के युवाओं के हित में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर विचार करते हुए/इसे अपनाते हुए, उक्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवा लाभ सुनिश्चित करने तथा उन्हें नियमित करने के लिए कोई नई नीति बनाने या मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने का है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

"समान कार्य के लिए समान वेतन" के संबंध में श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *13 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में मानदेय पर संविदात्मक, आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित स्थापनों द्वारा उनकी प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विकेंद्रीकृत पद्धति से की जाती है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में आँकड़े संबंधित स्थापन द्वारा रखे जाते हैं।

नियमित कर्मचारी, संबंधित स्थापन के विशिष्ट सेवा नियमों और भर्ती नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारी, सांविधिक उपबंधों के अध्यक्षीन अपने अनुबंध के निबंधन और शर्तों के तहत कवर किए जाते हैं। कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने श्रम कानूनों को अधिनियमित किया है।

केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत उपबंधों को समामेलित, सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाकर चार श्रम संहिताएं तैयार की हैं जिनका नाम मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 है। चारों श्रम संहिताएं दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई हैं। सभी चार श्रम संहिताओं के अधीन केंद्रीय नियमों को दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित कर दिया गया है।

श्रम संहिताओं में, सरकार ने ठेका कामगारों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपबंध किए हैं जिसमें सभी रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिकरण करना, न्यूनतम मजदूरी का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होना, सभी कर्मचारियों को समय पर मजदूरी का भुगतान करना, लैंगिक तटस्थता तथा भर्ती और मजदूरी भुगतान में भेदभाव का निषेध करना शामिल है। महिला कामगारों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अध्यक्षीन रात्रि के दौरान सहित सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी स्थापनों में काम करने की अनुमति है, 10 या अधिक कामगारों वाले सभी स्थापनों तथा ऐसे स्थापन जिनमें केवल एक कर्मचारी कार्यरत है तथा वहाँ खतरनाक तथा जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसाय किए जाते हैं, ऐसे स्थापनों में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से जारी करके रोजगार का औपचारिकीकरण किया गया है और नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जानी है। मजदूरी की दोगुनी दर पर ओवरटाइम दिया जाएगा, प्रधान नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य, कार्य दशाएँ और मजदूरी इत्यादि से संबंधित ठेका कामगारों की शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति गठित की जाएगी तथा 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटान किया जाएगा तथा ईपीएफओ और ईएसआईसी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
